रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2012/ज्येष्ठ 14, 1934
No. 141] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2012/JYAISTHA 14, 1934

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

सं. भा.आ.प. 34(41)/2012-मेडि/109505.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2012" कहा जाए ।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" यथासंशोधित 14-10-2011 की अधिसूचना "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) में तीसरे पैराग्राफ के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

"बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, अब से पाँच वर्षों की अवधि के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि के दो टुकड़ों, जो मिलाकर कम से कम 20(बीस) एकड़ के हों, के लिए अनुमति दी जा सकती है । तथापि भूमि का एक प्लॉट जो 10(दस) एकड़ से कम नहीं होगा तथा दूसरा टुकड़ा 5(पाँच) एकड़ से कम नहीं होगा । भूमि के दो टुकड़ों के बीच का फासला 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, जो पूर्णतया सड़क से जुडा हो तथा विद्यार्थियों और स्टाफ के आने जाने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था हो । अस्पताल भूमि के एक ही टुकडे में होना चाहिए तथा छात्रों, अंतरंग डाक्टरों, स्नातकोत्तर/आवासी डाक्टरों तथा नर्सों के लिए होस्टलों और पुस्तकालय सहित कॉलेज का भवन भूमि के किन्हीं भी दो टुकड़ों में हो सकता है । यह अस्पताल कम से कम तीन वर्षों से कार्यात्मक होना चाहिए ।

उपरोक्त राज्यों के जिलों में, जहाँ दो या दो से अधिक मेडिकल कॉलेज पहले से ही हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति को उक्त शिथिलता नहीं दी जाएगी ।"

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, सचिव प्रभारी

[विज्ञापन III/4/100/12/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत: 'आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999' दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्तूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्तूबर 2009, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल 2010 और 14 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

No. Medical Council of India 34(41)/2012-Med./109505.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely :—

1. (i) These regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations (Amendment), 2012".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", as amended *vide* notification dated 14-10-2011, in clause 2(2) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", the following shall be added after the third paragraph :—

"Provided further for a period of five years in the states of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal, establishment of medical college shall be allowed on two pieces of land comprising minimum of 20 (twenty) acres of land. However, one plot of land shall not be less than 10 (ten) acres and the second plot of land shall also be not less than 5 (five) acres. The distance between two pieces of land shall not be more than 10 (ten) kilometers with well connected road and free transportation facility for students and staff. The hospital should be on one piece of land and the building of the college including library and hostels for the students, intern, PGs/Residents, nurses may be housed on any of the two pieces of land. The said hospital should be functional for atleast 3 years.

The above relaxation shall not be available to a person seeking permission to establish a medical college in a District in above states where two or more medical colleges are already in existence."

Dr. P. PRASANNARAJ, Secy. I/C

[ADVT. III/4/Exty./100/12]

Foot Note :— The Principal, Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 28th August, 1999, *vide* Council of India Notification No. 34(41)/98-Med. and amended *vide* notification 7th October 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October, 2009, 26th February, 2010, 16th April, 2010 and 14th October, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.